संख्या 273 /2024/2107/41-2-2024/75(सा0)/2024-CN-1845472

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक : 11 नवम्बर , 2024**

विषय:-जनपद बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेड़ा, परगना बागपत तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा की 1.0690 हे0 भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3719/6-1-1(बागपत/भूमि)/2023-24, दिनांक 29 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेड़ा, परगना बागपत तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा की 1.0690 हे0 भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने**,** योग एवं वेलनेस को जोड़ते हुए वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत स्थित पूरामहादेव में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना सार्वजनिक निजी सहभागिता के अन्तर्गत निवेशकों के माध्यम से कराया जाना है।

3- बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु आपसी समझौते के आधार पर काश्तकारों से उनकी 68.400 हे0 निजी भूमि क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है और ग्राम सभा की 1.0690 हे0 भूमि प्रस्तावित परियोजना हेतु क्रय की जा रही भूमि के मध्य में है। अतः ऐसी स्थिति में ग्राम सभा की उक्त भूमि का पर्यटन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण अपरिहार्य है।

4- प्रदेश में शासकीय क्षेत्र में 14 योग केन्द्र/संस्थान तथा निजी क्षेत्र में 23 योग शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों द्वारा योग के प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

की दिशा में उल्लेखनीय गतिविधियॉ संचालित हैं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का योग एवं वेलनेस टूरिज्म केन्द्र उत्तर प्रदेश में नहीं है।

5- कोविड जैसे महामारी आने पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर योग एवं वेलनेस टूरिज्म के प्रति लोगो में काफी जागरूकता बढ़ी है। कोयंबटूर और केरल में योग एवं वेलनेस टूरिज्म केन्द्र पर लाखों की संख्या में विदेशी पर्यटक स्वास्थ्य लाभ हेतु आते हैं। विश्व में योग की स्वीकार्यता चिकित्सा क्षेत्र में भी होने के कारण आध्यात्मिक और आत्मिक शान्ति के लिए योग के प्रचार-प्रसार में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।

6- योग एवं वेलनेस टूरिज्म का केन्द्र स्थापित होने पर उ0प्र0 में विदेशी पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। प्रस्तावित स्थल देश की राजधानी दिल्ली से काफी निकट होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने में भी सुविधा होगी तथा इस क्षेत्र में काफी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा और वेलनेस टूरिज्म के प्रति लोगों में जागरूकता भी आयेगी।

7- बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु परियोजना के मध्य आ रही ग्राम सभा की सामान्य व आरक्षित श्रेणी की भूमि कुल रकबा 1.0690 हे0 का पुनर्ग्रहण कर पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

क्र0स0	**ग्राम**	**परगना**	**तहसील**	**जनपद**	**ख0स0**	**रकबा (हे0 में)**	**भूमि की प्रकृति/ श्रेणी**
1	हरियाखेड़ा	बागपत	बागपत	बागपत	451	0.2280	नवीन परती
2					478 मि0	0.2150	ऊसर
3					468	0.0440	चकमार्ग
4					580	0.0540	चकमार्ग
5					701	0.1160	चकमार्ग
6					466	0.0970	चकमार्ग
7					478 मि0	0.2910	बंजर
8					613	0.0240	नाली
योग						**1.0690**	

8- जनपद बागपत की तहसील व परगना बागपत के ग्राम हरियाखेड़ा में स्थित उक्त भूमि क्षेत्रफल 1.0690 हेक्टेयर का अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु पुनर्ग्रहण किया जाना है। ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोग की भूमि के पुनर्ग्रहण /विनिमय हेतु शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(2)/2016, दिनांक 03.06.2016 के प्रस्तर-4(1)(ग) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखो में नवीन परती, ऊसर, चकमार्ग, बंजर एवं नाली के रूप में दर्ज है। पर्यटन विभाग सेवारत विभाग की श्रेणी में नही है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण कर पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

9- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त के दृष्टिगत जनपद बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु ग्राम हरिया खेड़ा**,** परगना बागपत तहसील व जिला बागपत की ग्राम सभा की 1.0690 हे0 भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने हेतु दिनांक 04.11.2024 को सम्पन्न मा0 मत्रि-परिषद् की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(**क)** जनपद बागपत की तहसील व परगना-बागपत के ग्राम हरियाखेड़ा की ग्राम सभा की 1.0690 हे0 भूमि बागपत में अन्तर्राष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केन्द्र की स्थापना हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना।

(**ख)** प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेत्तर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

कृपया उक्तानुसार प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को यथाशीघ्र सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   वित्त विभाग/न्याय विभाग एवं राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निदेशक पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।